


201/00339

16/5/18

पत्रावली लोक अदालत केम्य नीमोदा मे पेश  
 हुई। अभयज्ञ उपर उक्त प्रकरण से  
 सम्बन्धित आराजी एवं पक्षकारानु के  
 मध्य एवं अन्य प्रकरण सं. 150/17  
 परिकट है, जिससे इस प्रकरण का  
 निरन्तरण प्रकरण सं. 150/17 के साथ  
 कन्सोलिडेट कर दिया जा रहा है।  
 उक्त प्रकरण प्र सं. 150/17 के  
 साथ कन्सोलिडेट रहे।

श्री. कल्याण  

श्री. नरेशीश  
 श्री. माल

  
 श्री. वि. व. काप

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

2017/CO332

28/1/18

पत्रावली

पत्रावली पत्रावली वकील वकील उपाधीकृत  
प्रतिवादी नं० 1 की ओर वकील  
श्री ब्रीलाल गोचर द्वारा उपस्थित  
प्रस्तुत की पत्रावली वास्तु जवाब  
हमें तारीख दिनांक 10/5/18 को  
पत्रावली

10/5/18

पत्रावली पत्रावली वकील उपाधीकृत उपाधीकृत  
प्रतिवादी नं० 1, 2, 3, 3/2, 3/3 की ओर  
वकील श्री गिरजि प्रसाद शीमा एवं  
वकायात नामा प्रस्तुत किया जा था मिल  
मिलाल दिव्य गयी पत्रावली वास्तु जवाब  
हमें तारीख दिनांक 21/5/18 को पत्रावली

16/5/18

पत्रावली लोक अदालत केम्प नीमोदा में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी  
नं० 2/1 व 2/2 मजमें आम में उपस्थित। वादीगण ने उक्त वाद विरुद्ध  
प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88-89 आरटीएक्ट में प्रस्तुत कर ग्राम नीमोदा  
तहसील दीगोद स्थित ख० नं० 2285 रकबा 1.46 हे०, ख० नं० 2298 रकबा  
1.47 हे० कुल किता 2 रकबा 2.93 हे० भूमि में वादी नं० 1 के साथ वादी  
नं० 2 व प्रतिवादी नं० 1, 2, 3 को बराबर बराबर 1/5, 1/5 हिस्से का  
खातेदार टिनेन्ट घोषित किये जाने का निवेदन कर अन्य कथन किये कि  
वादी नं० 1 वृद्ध व्यक्ति है, वादी की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। वादी नं०  
1 के बरीलाल व सोहनलाल जीवित पुत्र है तथा दो पुत्रों की मृत्यु हो  
चुकी है इस कारण वादी नं० 1 वादी नं० 2 बरीलाल के पास ही निवास  
करता है। वादी नं० 1 ने जीवित पुत्र बरीलाल व सोहनलाल को एवं दो  
मृतक पुत्रों के वारिसान को विवादित आराजी में से 1/5, 1/5 हिस्से की  
भूमि का मौके पर विभाजन कर भूमि दी हुई है। किन्तु इसके बावजूद भी  
प्रतिवादी नं० 1 सोहनलाल आये दिन वादीगण व प्रतिवादी नं० 2-3 से  
लडाई झगडा कर 1/5 हिस्से की भूमि से अधिक भूमि को खाते द  
कराने की धमकी देता रहता है।

दिनांक 16/5/18  
वकील

दिनांक 16/5/18  
वकील

उपस्थित पक्षकारान् ने साथ ही कथन किये कि सोहनलाल ने एक अन्य वाद इसी आराजी के सम्बन्ध में कर रखा है, जिसमें हस्तगत प्रकरण के ही पक्षकार है तथा आराजी भी समान ही है। मजमें आम में उभयपक्ष की समझाईश की गई तथा उपस्थित पक्षकारान् ने वादपत्र में अंकित प्रार्थना अनुसार वाद को डिक्री किये जानें की सहमति कायम की गई। जिस पर पक्षकारान् ने सहमति प्रकट करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। मजमें आम में उक्त दोनों पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण सं० 150/17 एवं प्रकरण सं० 149/17 के पक्षकार एवं आराजी समान होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक साथ ही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण सं० 149/17 को प्रकरण सं० 150/17 के साथ कन्सोलिडेट किया जाता है। उपस्थित पक्षकारान् ने प्रकरण में प्रार्थना अनुसार डिक्री किये जानें की सहमति प्रकट की है। जिससे वाद वादीगण स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण उभयपक्ष की सहमति के आधार पर घोषणा तक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम नीमोदा तहसील दीगोद स्थित ख० नं० 2285 रकबा 1.46 हे०, ख० नं० 2298 रकबा 1.47 हे० कुल कित्ता 2 रकबा 2.93 हे० भूमि में वादी नं० 1 के साथ वादी नं० 2 व प्रतिवादी नं० 1-2-3 को 1/5-1/5 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो, निर्णय मजमें आम में सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(तारामती वैष्णव)  
उपखण्ड अधिकारी,  
दीगोद